सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/165** दायर दिनांक **13.06.2017**

वादीनी		प्रतिवादी
1. मंजूदेवी पत्नी भागीरथराम, आयु–45वर्ष, जाति–जाट, निवासी–बरड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरस्ती,
U/S 88 R.T. Act. एवं धारा 136 R.L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **27.07.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वर्तमान खेत खसरा नम्बर 452 रकबा 65.06 बीघा तथा खसरा नम्बर 563/452 रकबा 04.07 बीघा, कुल खसरा दो, कुल रकबा 59.13 बीघा वाकै शरहद बरड़वा है जिसकी खातेदारी वादीनी के नाम निम्नानुसार हैः–

मूलदेवी पत्नी भागीरथराम कौम जाट, मालसिंह, जगदीशसिंह पिता भागीरथसिंह कौम राजपूत साकिन देह, खींवाराम पुत्र दूदाराम, बाली देवी पत्नी भींवाराम जाट, नानूसिंह, मूलसिंह, मनोहरसिंह पिता मोहनसिंह, मूलसिंह, केशरसिंह पिता मदनसिंह, रामप्यारीकँवर पत्नी मदनसिंह कौम राजपूत साकिन देह, राहिन खींवाराम पुत्र दुदाराम का हिस्सा ज.था.ग्रा. बैंक नूँवा मूर्तहीन राहिन मूलदेवी, बालीदेवी का हिस्सा पी.एन.बी. शाखा ललासरी मुर्तहीन। नामा0 संख्या 747 बैचाण से नानूसिंह पिता मोहनसिंह के बैचाण से सम्पूर्ण हिस्सा भींवाराम पुत्र दूदाराम 1/12 कौम जाट साकिन देह शेष बदस्तुर।

वादीनी उक्त वाद में खातेदार है तथा अन्य खातेदारों से वादीनी को कोई दादरसी नहीं चाहती है। वादीनी अपने वाद के जरिये राज्य सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहता है। अतः वाद करने से पूर्व राज्य सरकार को दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है मगर इन्द्राज दुरस्ती रिकॉर्ड व घोषणा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी के वाद में लैण्ड होल्डर तहसीलदार डीडवाना आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

बिनाय दावा वादीनी को पटवारी हल्का बरड़वा से सत्य प्रतिलिपि लेने से उसमें वादीनी के स्वयं का नाम गलत अंकित होने की जानकारी होने पर नकल खतौनी प्राप्त करने पर पैदा हुई।

प्रार्थना वादी है कि–

वाद वर्णित खेत खसरा नम्बर 452 रकबा 65.06 बीघा तथा खसरा नम्बर 563 / 452 रकबा 04.07 बीघा, कुल रकबा 59.13 बीघा वाकै शरहद बरड़वा की खातेदारी इन्द्राज में वादीनी का स्वयं का नाम मूलीदेवी पत्नी भागीरथराम जो कि सहवन से गलत दर्ज हुआ है, को दुरस्त किया जाकर मंजूदेवी पत्नी भागीरथ दुरस्त किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2078–2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाण–पत्र क्रमांक 263 दिनांक 01.06.2017 जारी द्वारा सरपंच ग्रामपंचायत बरड़वा पंचायत समिति–डीडवाना, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र संख्या–RJ/03/193/624305 की छायाप्रति, राशन कार्ड संख्या– 00296 की छायाप्रति, राजस्थान सरकार का भामाशाह कार्ड परिवार पहचान संख्या– YKEUWGK की छायाप्रति, एस बी आई बैंक शाखा डीडवाना द्वारा जारी खात संख्या 51087514110 की पास बुक की छायाप्रति, वाद के संलग्न है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीनी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

अधिवक्ता वादीनी, वाद को डिक्री किए जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं।

वादीनी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से वादीनी का सही नाम "मंजूदेवी पुत्र भागीरथराम " होना पुष्ट होता है। वादीनी के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017 / 165
दायर दिनांक 13.06.2017, निर्णय दिनांक 27.07.2017
मंजूदेवी बनाम् तहसीलदार।

वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया होने से वादीनी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीनी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद बरड़वा में खेत खसरा नम्बर 452 रकबा 65.06 व खसरा नम्बर 563 / 452 रकबा 04.07 बीघा में वादीनी का नाम वर्तमान में अंकन "मूलीदेवी पत्नी भागीरथराम" के स्थान पर "मंजूदेवी पत्नी भागीरथराम" दुरस्त किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **27.07.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/165** दायर दिनांक **13.06.2017**

वादीनी		प्रतिवादी
1. मंजूदेवी पत्नी भागीरथराम, आयु–45वर्ष, जाति–जाट, निवासी–बरड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरस्ती,
U/S 88 R.T. Act. एवं धारा 136 R.L.R. Act.

दिनांक **27.07.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद बरड़वा में खेत खसरा नम्बर 452 रकबा 65.06 व खसरा नम्बर 563/452 रकबा 04.07 बीघा में वादीनी का नाम वर्तमान में अंकन "मूलीदेवी पत्नी भागीरथराम" के स्थान पर "मंजूदेवी पत्नी भागीरथराम" दुरस्त किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **27.07.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner